रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062026-273436
CG-DL-E-13062026-273436

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2933] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
No. 2933] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3039(अ).— अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन, भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन 2 अप्रैल, 2004 को अंतरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चिय तारीख 30 दिसंबर, 2010 को प्रस्तुत कर दिया है;

और, केंद्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा उनसे संबंधित निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को तारीख 29 मार्च, 2011 को प्रस्तुत किए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट को 29 मार्च, 2011 से एक वर्ष या उससे पहले, केंद्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण के अनुरोध पर, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 653 (अ), तारीख 29 मार्च, 2012, का.आ. 2339 (अ), तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013, का.आ. 2939 (अ), तारीख 27 सितंबर, 2013, का.आ. 3515 (अ) तारीख 27 नवंबर, 2013 द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक बढ़ाई गई थी, जिसे जल संसाधन मंत्रालय के तारीख 5 फरवरी, 2014 के आदेश द्वारा 31 जुलाई, 2014 तक और बढाया गया था;

और, इसी बीच उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट 29 नवंबर, 2013 को अग्रेषित कर दी है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन, केंद्रीय सरकार, अधिकरण द्वारा रिपोर्ट भेज दिए जाने के पश्चात और यथाशीघ्र केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि मामले में अधिकरण को कोई अतिरिक्त निर्देश आवश्यक नहीं होगा, अधिकरण का विघटन कर देगी।

और, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 89 में यह उपबंध किया गया है कि कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि उक्त धारा के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधनों के साथ बढ़ाई जायेगी;

और, केंद्रीय सरकार ने, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1290 (अ), तारीख 15 मई, 2014 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 2014 से दो वर्ष की और अवधि के लिए बढाया गया था ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 के खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधनों का निदान किया जा सके;

और, उक्त अधिकरण के अनुरोध पर, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2462 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2016, का.आ. 2459 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2017, का.आ. 3950 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2018, का.आ. 3146 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2019, का.आ. 2412 (अ), तारीख 23 जुलाई, 2020, का.आ. 2890 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2021, का.आ. 2916 (अ), तारीख 27 जून, 2022 और का.आ. 2994 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2023 द्वारा और बढ़ा दी गई थी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 12 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए उक्त अधिकरण को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, की अधिसूचना संख्या का.आ. 4375 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023 द्वारा अतिरिक्त निर्देश निबंधन निर्दिष्ट किए थे;

और, उक्त अधिकरण के अनुरोध पर, कृष्णा जल विवाद अधिकरण के रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1507 (अ), तारीख 21 मार्च, 2024 द्वारा समय-समय पर और बढ़ाया गया था तथा इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3221(अ), तारीख 10 जुलाई, 2025 द्वारा 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की अवधि के लिए और बढ़ाया गया था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए अवधि को 1 अगस्त, 2026 से 31 जुलाई, 2027 तक की अवधि तक और बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. एन. 57012/1/2021-बी.एम.]

प्रदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3039(E).— Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;

And, whereas, the said Tribunal submitted its report and decision under sub- section (2) of section 5 of the said Act on 30th December, 2010;

And, whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra preferred their respective references to the said Tribunal under sub-section (3) of section 5 of the said Act on 29th March, 2011;

And, whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on or before one year from the 29th March, 2011;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time *vide* notification numbers S.O. 653(E), dated the 29th March, 2012, S.O. 2339 (E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916(E), dated the 2nd April, 2013, S.O. 2939 (E), dated the 27th September, 2013, S.O. 3515(E), dated the 27th November, 2013 up to the 31st January, 2014, which was further extended up to 31st July, 2014, *vide* Ministry of Water Resources order dated the 5th February, 2014;

And, whereas, in the meantime, the said Tribunal forwarded to the Central Government its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 29th November, 2013;

And, whereas, under section 12 of the said Act, the Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its report and as soon as the Central Government is satisfied that no further reference to the Tribunal in the matter would be necessary;

And, whereas, section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (6 of 2014) provides that the term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of the said section;

And, whereas, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 5 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, the Central Government extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of two years with effect from the 1st August, 2014 so as to address the terms of reference specified in clauses (a) and (b) of section 89 of the Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014, *vide* S.O.1290 (E), dated the 15th May, 2014;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act was extended from time to time *vide* notification numbers S.O. 2462 (E), dated the 18th July, 2016, S.O. 2459 (E), dated the 31st July, 2017, S.O. 3950 (E), dated the 9th August, 2018, S.O. 3146 (E), dated

the 29th August, 2019, S.O. 2412 (E), dated the 23rd July, 2020, S.O. 2890 (E), dated the 20th July, 2021, S.O. 2916 (E), dated the 27th June, 2022, and S.O. 2994 (E), dated the 6th July, 2023;

And, whereas, in pursuance of the provisions of section 3, sub-section (1) of section 5 and section 12 of the said Act, the Central Government referred further terms of reference to the said Tribunal for adjudication *vide* notification of the Government of India, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Ministry of Jal Shakti, number S.O. 4375 (E), dated the 6th October, 2023;

And, whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of report and decision by the Krishna Water Disputes Tribunal was extended *vide* notification number S.O. 1507(E), dated the 21st March, 2024 and was last extended *vide* notification number S.O. 3221(E), dated the 10th July, 2025 with effect from the 1st August, 2025 to 31st July, 2026;

And, whereas, the said Tribunal has requested to extend the period of submission of report and decision for a further period with effect from the 1st August, 2026 to 31st July, 2027;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub- section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by the Krishna Water Disputes Tribunal for a further period with effect from the 1st day of August, 2026 to 31st day of July, 2027.

[F. No. N-57012/1/2021-BM]

PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.13 17:03:54 +05'30'